न्यायालय सहायक कलक्टर, भदेसर जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

--

प्राथमिक डिक्री दिनांक
26.05.2022

प्रकरण संख्या
111 / 2020

अनवान

1. श्यामु दास पुत्र रतुदास जी जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी हाज्याखेडी तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. प्यारी पत्नी रत्तुदास जी जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी हाज्याखेडी तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3. हीरादास पुत्र नाथुदास जी जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी हाज्याखेडी तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
4. ओमप्रकाश पुत्र बंशीदास जी जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी हाज्याखेडी तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
5. हंसलसल पुत्र शोभादास जी जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी हाज्याखेडी तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
6. सोसर पत्नी नानादास जी जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी हाज्याखेडी तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
7. शंकरदास पुत्र नाथुदास जी जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी हाज्याखेडी तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
8. लक्ष्मण दास पुत्र नानादास जी जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी हाज्याखेडी तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
9. भेरी पुत्री रामचन्द्र जी जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी हाज्याखेडी तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
10. कालुदास पुत्र बंशीदास जी जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी हाज्याखेडी तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
11. कंचनबाईपत्नी बंशीदास जी जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी हाज्याखेडी तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

---वादीगण

।।बनाम।।

1. नरेन्द्रसिंह पिता सुल्तानसिंह जी जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी नाहरगढ तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण चित्तौडगढ जरिये परियोंजना निदेशक सुनील यादव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 465, गोरधन विला, सरस डेयरी के पास उदयपुर राज0
3. मन्जुदेवी पत्नी भीमराज जाति कलाल (जयसवाल) उम्र वयस्क निवासी सावा तहसील चित्तौडगढ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
4. मदनलाल पुत्र उदयलाल जाति ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी भुतियाकंला तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
5. ईश्वरदास पुत्र कन्हैयादास जाति बैरागी उम्र नाबालिग जरिये सरपरस्त माता गुडडीबाई पत्नी कन्हैयादास जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी हाज्याखेडी तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
6. भावना पुत्री कन्हैयादास जाति बैरागी उम्र नाबालिग जरिये सरपरस्त माता गुडडीबाई पत्नी कन्हैयादास जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी हाज्याखेडी तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
7. गुडडी बाई पत्नी कन्हैयादास जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी हाज्याखेडी तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
8. कृष्णाबाई पुत्री बंशीदास जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी हाज्याखेडी तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
9. चुन्नीबाई पत्नी नाथुदास जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी हाज्याखेडी तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
10. प्रियंका पुत्री शोभादास जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी हाज्याखेडी तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
11. मुन्नाबाई पुत्री बंशीदास जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी हाज्याखेडी तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
12. मांगुदास पुत्र मोतीदास जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी हाज्याखेडी तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
13. रुकमणी बाई पत्नी शोभादास जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी हाज्याखेडी तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
14. रामीबाई पुत्री नाथुदास जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी हाज्याखेडी तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ

15. लहरु पुत्र नानादास जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी हाज्याखेडी तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

16. विष्णु पुत्र बंशीदास जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी हाज्याखेडी तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

17. श्रीमान उपपंजियक महोदय भदेसर जिला चित्तौडगढ

18. भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर

---प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत बंटवाडा आराजीयात</u>

<u>अन्तर्गत धारा 88,53,188,209 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955</u>

वादीया की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 01, 02 जा. दी. के तहत निम्न आधारों पर सादर प्रस्तुत हैः-

1. यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण की सयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा ग्राम हाज्याखेडी पटवार हल्का नाहरगढ तहसील भदेसर की खाता सं. 86 में दर्ज आराजी नम्बर 245 रकबा 1.54 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 246 रकबा 0.57 हैक्टयर, आराजी नम्बर 247 रकबा 0.03 हैक्टयर गे.मु.चाह, आराजी नम्बर 249 रकबा 0.95 हैक्टयर, आराजी नम्बर 250 रकबा 0.57 हैक्टयर, आराजी नम्बर 251 रकबा 0.94 हैक्टयर, आराजी नम्बर 389/249 रकबा 0.01 हैक्टयर कुल किता 07 कुल रकबा 4.61 हैक्टयर, **एवं** खाता संख्या 115 की आराजी नम्बर 385/245 रकबा 0.06 हैक्टयर सडक, आराजी नम्बर 386/246 रकबा 0.07 हैक्टयर सडक, आराजी नम्बर 387/247 रकबा 0.02 हैक्टयर, आराजी नम्बर 388/249 रकबा 0.10 हैक्टयर सडक, कुल किता04 कुल रकबा 0.25 हैक्टयर कृषि भूमि स्थित है।

2. यह कि वादग्रस्त खाता संख्या 86 वादीगण व प्रतिवादीगण के शामलाती खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात हैं जिसमें वादीगण का राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक हिस्सा एवं प्रतिवादीगण का राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार अपने अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज अनुसार कब्जा चला आ रहा हैं तथा वादग्रस्त खाता संख्या 89 का बंटवारा विधिवत रुप से नहीं होने से एवं लगान को

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

लेकर एवं रकबे की कमी पेशी को लेकर आगे दिन वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विवाद होता रहता है इसलिए वादी व प्रतिवादीगणों को वादग्रस्त आराजीयात का राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज अनुसार, बंटवाडा बाय मिट्स एण्ड बाउण्डस कराने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादी टाल मटोल कर रहे हैं, तथा बंटवाडा कराने से इंकार हो गये है इसलिए वादग्रस्त खाता संख्या 86 में वादीगण राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार बंटवाडा बाय मिट्स एण्ड बाउण्डस करा वादीगण व प्रतिवादीगण का नाम अलग खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकारी हैं।

3. यह कि वादग्रस्त खाता संख्या 115 की आराजी नम्बर 385/245 रकबा 0.06 हैक्टयर सडक, आराजी नम्बर 387/247 रकबा 0.02 हैक्टयर सडक, आराजी नम्बर 387/247 रकबा 0.02 हैक्टयर सडक, आराजी नम्बर 388/249 रकबा 0.10 हैक्टयर सडक, कुल किता 04 कुल रकबा 0.25 हैक्टयर, के खातेदारान राजस्व रेकार्ड में दर्ज प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व अधिकारियों से मिलकर खाता संख्या 86 के खातेदारान के हक हिस्से की तरमीम मौके पर कब्जे अनुसार नहीं करा कर अपने मन माने ढंग से विधि विरुद्ध तरीके से, बेशकिमती जमीन को गलत रुप से फोर लाईन रोड की ओर खाता संख्या 115 की आराजीयात को गलत तरमीम राजस्व नक्शे में कर दी गई जिसे दुरुस्त किया जाकर मौके पर कब्जे अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम की घोषणा कर राजस्व रेकार्ड व राजस्व नक्शे में तरमीम की जाकर बाय मिट्स एवं बाउण्डस वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा कराने के वादीगण अधिकारी हैं।

4. यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित वादग्रस्त खाता संख्या 86 का बंटवारा बाय मिट्स एण्ड बाउण्डस मौके पर काबिज अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार किया जावें तथा खाता संख्या 115 में तरमीम कर वादीगण का नाम मौके पर कब्जे अनुसार दर्ज कराने की कहा, तो प्रतिवादीगण बंटवारा कराने एवं तरमीम कराने से इंकार हो गये, वादीगण व मौतबीरान के समझाने बुझाने पर नहीं मान रहे है और वादीगण की कब्जे शुदा आराजीयात को बिना बंटवाडा हुए ही भूमाफिया से मिलकर वादीगण की कब्जे शुदा आराजीयात को रहन विक्रय करने पर आमदा हो रहे हैं तथा प्रतिवादीगण अन्य लोगों के सिखावें में आकर वादीगण की कब्जे शुदा

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

आराजीयात को विक्रय करने पर आमदा हो रहे है इसलिए वादीगण प्रतिवादीगणों को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के के अधिकारी हैं ि कवे वादीगण के हक हिस्से की आराजी पर जबरन कब्जा नहीं करे, न करावें, ना ही वादीगण को उसके हक हिस्से से जबरन बेदखल करने की कोशिश करें, न करावें तथा ना ही वादीगण के हक हिस्से व कब्जे की भूमि को रहन बय बक्शीश के माध्यम से हस्तांतरित करने की कोशिश करें न करावें।

5. यह कि अभी दिनांक 10.07.2020 को जब वादीगण ने प्रतिवादीगण को वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात की घोषणा करा, वादग्रस्त खाता संख्या 86 का बंटवारा एवं खाता संख्या 115 में मौके पर काबिज अनुसार तरमीम कराने को कहा तो प्रतिवादीगण इंकार हो गये से हर रोज पैदा होकर वाद अंदर अवधी पेश हैं।

6. यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित वादग्रस्त खाता संख्या 86 में वादीगण का राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार एवं खाता संख्या 115 में मोके पर काबिज अनुसार खातेदारी की घोषणा करते हुए राजस्व रेकार्ड व राजस्व नक्शे में तरमीम करते हुए बाय मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जाकर वादीगण का हक हिस्से अनुसार वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के खातेदारी की अलग अलग घोषित की जावें एवं राजस्व रेकार्ड में अलग अलग से अमल दरामद किया जावें।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण उपस्थित आये एवं वादी व प्रतिवादीगण की सहमति से अलग अलग बंटवाडा किया जाने से सहमत हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से बखूबी साबित कराया है कि प्रश्नगत ग्राम हाज्याखेडी पटवार हल्का नाहरगढ तहसील भदेसर की खाता सं. 86 में दर्ज आराजी नम्बर 245 रकबा 1.54 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 246 रकबा 0.57 हैक्टयर, आराजी नम्बर 247 रकबा 0.03 हैक्टयर गे.मु.चाह, आराजी नम्बर 249 रकबा 0.95 हैक्टयर, आराजी नम्बर 250 रकबा 0.57 हैक्टयर, आराजी नम्बर 251 रकबा 0.94 हैक्टयर, आराजी नम्बर 389/249

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

रकबा 0.01 हैक्टयर कुल किता 07 कुल रकबा 4.61 हैक्टयर, एवं खाता संख्या 115 की आराजी नम्बर 385/245 रकबा 0.06 हैक्टयर सडक, आराजी नम्बर 386/246 रकबा 0.07 हैक्टयर सडक, आराजी नम्बर 387/247 रकबा 0.02 हैक्टयर, आराजी नम्बर 388/249 रकबा 0.10 हैक्टयर सडक, कुल किता04 कुल रकबा 0.25 हैक्टयर राजस्व रेकार्ड व मौके पर काबिज अनुसार बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार भदेसर को 1000/- अक्षरे एक हजार रूपये फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव लगान फाटनी कर, मय नक्शा ट्रेस उभय पक्ष की मौजूदगी में तैयार कराया जाकर एक माह में प्रस्तुत करें। विभाजन में संबंधीत काश्तकार को अपनी जोत पर पहुंच मार्ग की व्यवस्था सुरक्षित की जावे। इसी आशय का पर्चा डिक्री एवं हुक्मनामा अलग से जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़